पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/41

प्रार्थी :–

1. हुकमसिंह पुत्र हीरसिंह
2. रामसिंह पुत्र हीरसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र हीरसिंह
4. स्व. सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह के का.मु.
   4.1 जितेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह
   4.2 नरपतसिंह पुत्र सोहनसिंह जातिगण रावणा राजपुत निवासीगण श्रीसेला तहसील बाली, जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजकंवर पत्नी खुशालसिंह जाति राजपुत, निवासी श्रीसेला, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. जेठू कंवर पत्नी प्रविन्दरसिंह, जाति राजपुत निवासी श्रीसेला, तहसील बाली जिला पाली राज.
3. ग्राम पंचायत धणी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धणी तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत धणी द्वारा पत्रावली संख्या 11 वर्ष 2003–04 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 03 दिनांक 14.09.2004 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 37 जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गयो जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कमलश्रीमाली
2. अप्रार्थी संख्या 01,02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।

–:निर्णय:–

दिनांक: 19.12.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत धणी द्वारा पत्रावली संख्या 11 वर्ष 2003–04 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 03 दिनांक 14.09.2004 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 37 जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त करवाने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

बाबत् पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत धणी, प.रा. बाली के द्वारा जरिये प्रस्ताव दिनांक 14.09.2004 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को संयुक्त रुप से दिनांक 14.09.2004 को पट्टा नम्बर 37 जारी किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से नहीं थी। प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जाशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो के पुत्र व अन्य के द्वारा कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण के द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश बाली के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने पर उनकी तरफ से न्यायालय में बताया गया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से पट्टा जारी हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत धणी के समक्ष सम्पूर्ण पत्रावली की नकल मांगी गई व मिलने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा बिल्कुल अवैधानिक रुप से दिनांक 14.09.2004 का पट्टा जारी करवाया गया है। जिससे प्रार्थीगण की ओर से ग्राम पंचायत धणी की समस्त कार्यवाही व उक्त प्रस्ताव की पालना में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने के लिये यह निगरानी याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह है कि प्रस्ताव दिनांक 14.09.2004 व इसकी पालना में जारी पट्टा दिनांक 14.09.2004 विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।
2. यह है कि इस प्रकरण की पत्रावली का निरीक्षण करने से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है किस तरह से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धणी व अप्रार्थी संख्या एक व दो ने मिलकर गलत व विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्ताव व पट्टा जारी करवाया गया। जिसमें भी उक्त प्रस्ताव, आदेश व पट्टा निरस्त होने योग्य है।
3. यह है कि जिस मकान का पट्टा जारी करना बताया गया है वहा पर कभी भी मकान नहीं था व आज भी मकान नही है। अप्रार्थीगण द्वारा भूखण्ड को मकान बताकर पट्टा जारी करवा दिया, जिससे भी उक्त प्रस्ताव, आदेश व पट्टा निरस्त होने योग्य है।
4. यह है कि जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है, उस जगह पर कभी भी अप्राथी संख्या 1 व 2 का कब्जा नही रहा है। आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा नही है व पट्टा जारी करते समय या उससे पहले भी कभी भी कब्जा नही रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त जगह श्री उगमसिंह, श्रवणसिंह, भगवतसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपुत निवासीगण श्रीसेला तहसील बाली जिला पाली राजस्थान कब्जा शुदा भूमि बाड़ा था, जिसको सन 1986 में प्रार्थीगण व उसके पिता हीरसिंह के द्वारा जरिये अदला बदली विलेख के माध्यम से श्री उगमसिंह श्रीसेला,तहसील बाली जिला पाली राजस्थान से प्राप्त किया गया तब से उक्त भूखण्ड का कब्जा प्रार्थीगण के पास ही है व प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा भी सन 2009 में विधिवत कार्यवाही कर प्राप्त किया गया है। उक्त भूखण्ड का यदि पूर्व में पट्टा बना हुआ होता तो प्रार्थीगण के पक्ष में कभी भी पट्टा नहीं हो सकता था। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा मिली भगत कर बाद की तारीख में पट्टा बनवाया गया व प्रोसेडिंग से ही स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

स्याही से निष्पादित की जाकर बाद में पट्टा बनाया गया है। जिससे भी आदेश, प्रस्ताव व पट्टा दिनांक 14.09.2004 विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

5. यह है कि उक्त आदेश प्रस्ताव व पट्टा दिनांक 14.09.2004 बिना कब्जे के जारी किया गया है जो नही किया जा सकता है। जिससे भी आदेश अन्तर्गत निगरानी निरस्त होने योग्य है।
6. यह है कि इस प्रकरण में दो गवाह श्री उम्मेदसिंह व स्वरुपसिंह जी के बयान लेना बताया गया है, जबकि पत्रावली में उम्मेदसिंह के बयान ही नहीं है व स्वरुपसिंह के तथाकथित जो बयान बताये गये है, उसमें उसके गवाही के रुप में हस्ताक्षर किये जाना बताया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि स्वरुपसिंह ने ऐसे बयान नही दिये थे।
7. यह है कि उक्त पट्टा मकान का बताया जा रहा है, जबकि मौके पर प्लोट है, इस भूखण्ड पर कभी भी आवासीय मकान बना हुआ नहीं था व आज भी नही है। अलावा इसके दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा एक आवासीय मकान क्लेम किये गये जिसका न तो नाप दिया गया व न ही पडौस दिये गये है। दोनो आवेदक एक ही पूर्वजों की सन्तान नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि पट्टा व संकल्प पत्र व प्रस्ताव आपसी मिलावट कर जारी किया गया है। यहा यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि जिनके नाम पट्टा जारी किया गया है वे श्रीसेला के स्थाई निवासी नही है जिससे भी पट्टा जारी नही किया जा सकता था।
8. यह है कि आवेदन पत्र में दिनांक का अंकन नहीं है, हस्ताक्षर भी काफी दूरी पर किये हुए है जिससे लगता है कि आवेदक के हस्ताक्षर खाली कागज पर पहले से करवाये गये है।
9. यह है कि आवेदन पत्र में लम्बाई, चौड़ाई निर्माण कार्य की स्थिति मकान के पडौस आदि का उल्लेख नहीं है। शपथ पत्र पेश नहीं है। नक्शे पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, नक्शा किस जगह का है, कौनसे मोहल्ले का है, कौन से गांव का है आदि कोई वर्णन नहीं है। गवाह उसी वार्ड के निवासी नहीं है। आवेदक का स्थाई निवास श्रीसेला नहीं है एवं आदेशात्मक नियमों की पालना नही की गई है।
10. यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का पति प्रविन्दरसिंह स्वयं , उस समय वार्डपंच था। प्रविन्दरसिंह ने अपने प्रभाव से, पद का दुरुपयोग करते हुए गलत रुप से अपनी पत्नी जेठूकंवर व अपने रिश्तेदार राजकंवर के नाम से उक्त पट्टा बनाया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत धणी की पत्रावली संख्या 11/2003–04 में ग्राम पंचायत धणी द्वारा पारित संकल्प संख्या 03 दिनांक 14.09.2004, व इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 14.09.2004 जो अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम जारी किया है, उसे निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने निगरानी याचिका में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण का पट्टा व कब्जाशुदा भूखण्ड हड़पने व नाजायज हरकत कर अतिक्रमण करने के आशय से यह निगरानी मिथ्या कथनों पर प्रस्तुत की है जो सरासर गलत व मिथ्या है। ग्राम पंचायत धणी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अप्रार्थीगण के नाम पट्टा संख्या 37 दिनांक 14.09.2004 को जारी किया गया है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा शान्तिपूर्वक विधिवत चला आ रहा है। जिसका अप्रार्थीगण उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निर्बाध रुप से करते आ रहे है। प्रार्थीगण की नियत में काला आने से उन्होनें इस भूखण्ड पर जोर जबरन नाजायज रुप से कब्जा करने की कोशिश की जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिलने से उस कृत्य से बचाव

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के रुप में यह याचिका गलत तथ्य दर्शाकर प्रस्तुत की है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है।

2. यह है कि पट्टा अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत द्वारा इससे संबंधित तमाम नियमों की पालना करने के पश्चात अप्रार्थीगण के कथन सही पाने पर पट्टा जारी किया गया है।
3. यह है कि पट्टा, पट्टा मिसल कायम कर तमाम कार्यवाही नियमानुसार की जाने के पश्चात अप्रार्थीगण के कथन सही पाये जाने पर ही पट्टा जारी किया गया है। जो पंचायत अधिनियम में प्रतिपादित नियमों की पालना करने के पश्चात ही विधिवत जारी किया गया है। जिससे निगरानी सरासर गलत तथ्य दर्शाकर पेश करने से निरस्त करने योग्य है।
4. यह है कि विवादित स्थल पर अप्रार्थीगण का कब्जा व कच्चा पड़वा बना हुआ पाया जाने से ही पट्टा जारी किया गया है।
5. यह है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा शांन्तिपूर्वक चला आने से पट्टा जारी किया गया है। इस भूखण्ड पर कभी श्री उगमसिंह, भगवतसिंह, पुत्रगण श्री जवाहरसिंह श्री सेला का कभी कब्जा रहा ही नहीं है। इस भूखण्ड पर कभी उक्त उगमसिंह वगैरा का कभी किसी भी रुप में कब्जा रहा ही नहीं है न देखा ही है। न इस पर कभी प्रार्थीगण ही काबिज रहे है। प्रार्थीगण का भूखण्ड जहां उनका मकान भी बनाया हुआ है व पास में बाडा भी है जिसमें मवेशी बांधते है व अन्य कार्य में भी उपयोग व उपभोग कर रहे है।सन 2009 में जो पट्टा प्रार्थीगण का मकान व बाडा है। जिसका वे अवश्य उपयोग व उपभोग कर रहे है। वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थीगण कादिनांक 14.09.2004 को जारी किया गया है जिसके नम्बर 37 बुक नम्बर 79 मिसल संख्या 11/2003–04 है। जो विधिवत जारी किया गया है इस पर अप्रार्थीगण का कब्जा भौतिक एवं वास्तविक रुप से पूर्व से शांन्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। इस भूखण्ड का क्षेत्रफल 103 X 95 = 9785 वर्गफीट है। इसका पट्टा दिनांक 14.09.2004 को जारी किया गया है। इस पर कभी किसी भी रुप में प्रार्थीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा, आधिपत्य, स्वामित्व रहा ही नहीं है। इस पर केवल अप्रार्थीगण का ही कब्जा भौतिक एवं वास्वविक रुप से चला आ रहा है। जिसमें निगरानी गलत व मिथ्या कथनों पर प्रस्तुत करने से निरस्त करने योग्य है। पट्टा विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात ही जारी किया गया है।

6. यह है कि पट्टा व प्रस्ताव दिनांक 14.09.2004 ग्राम पंचायत द्वारा तमाम कार्यवाही करने के पश्चात् अप्रार्थीगण का कब्जा व अधिकार सही पाये जाने पर ही पट्टा जारी किया गया है।
7. यह है कि गवाहान ने जो बयान दिये वे सत्य पाये जाने पर पट्टा जारी किया गया है।
8. यह है कि मौके पर कच्चा केलुपोष पड़वा बना हुआ था जो आवासीय मकान के रुप में ही काम में लिया जाता रहा है। उस समय जो लिखा पढी की गई व मौके पर मौजुद तामिर निर्माण के आधार पर की गई है। अन्य तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। जिन्होंने बयान दिये वे स्वतन्त्र गवाह थे व गांव श्री सेला के ही निवासी रहे है।
9. यह है कि आवेदन पत्र सही दिया गया है व उस पर हस्ताक्षर भी सही किये गये है खाली कागज पर करने का कथन भी अप्रार्थीगण द्वारा निगरानी में गलत किया गया है।
10. यह है कि दोनों अप्रार्थीगण श्री सेला के निवासी है तथा यहां पर ही परिवार सहित रह रही है। प्रार्थना पत्र सही दिया गया है जो प्रक्रिया करनी थी वहाँ की गई, मौका दखा गया व अप्रार्थीगण का कब्जा पाये जाने पर पट्टा जारी किया गया है। जिससे नियमों की पालना नहीं करने का कथन भी गलत होने से अस्वीकार है।
11. यह है कि प्रविन्दर सिंह का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहा है न उसके कही ऐसा किया ही है। तमाम कार्यवाही सरपंच व पंचायत के कर्मचारीगण द्वारा नियमानुसार की गई है व सही पाये जाने पर ही अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी किया गया है। राज कंवर सेला की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निवासी है। इसी कारण उसने आवेदन पेश किया है। जेठू कंवर द्वारा रिश्तेदार होना बताकर राजकंवर के नाम पट्टा जारी करवाने का कथन गलत किया गया है। अतः आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 37 से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या तीन बावजुद तामीली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया।

काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा विलेख की जानकारी दिनांक 20.12.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर निगरानी प्रस्तुत की गई। यद्यपि निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी विलम्ब के उपशमन हेतु धारा 05 के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र भी सलंग्न प्रस्तुत किया गया है। याचीपक्ष ने जाहिर किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का स्वामित्वाधीन व कब्जाशुदा भूखण्ड है, जिसे लिखित अदलाबदली में प्रार्थीगण के पिता ने वर्ष 1986 में स्व. श्री जवाहरसिंह के पुत्रों से प्राप्त किया था तथा इसी भूखण्ड का एक पट्टा विलेख ग्राम पंचायत धणी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में वर्ष 2009 में निष्पादित किया गया था, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या एक व दो द्वारा एक फर्जी व कूटरचित पट्टा प्रस्तुत कर इस भूखण्ड को नाजायज तरीके से हड़पना चाहते है। यह भी, कि उक्त आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 37 निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में विहित वैधानिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई एवं दो परस्पर असम्बन्धित व्यक्तियों के नाम संयुक्त पट्टा विलेख निष्पादित कर एवं मौके पर खाली भूखण्ड का पुराने गृह के विनियमितिकरण के रुप में पट्टा विलेख निष्पादित कर ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक त्रुटि कारित की गई है, जिसे अपास्त फरमाया जाए। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

1. Jayantilal Vs. State of Raj. & otr. (Raj High Court; 25.03.2008
2. 2018 (2) DNJ (Raj.) 497

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :-

1. यह है कि प्रार्थीगण ने सरासर मिथ्या कथन कर निगरानी प्रस्तुत की है जो बहुत देरीना है प्रार्थीगण का पट्टा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा दिनांक 20.11.2009 को पट्टा संख्या 46 बुक नम्बर 93 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 29.11.2009 को जारी करना बताया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पट्टा संख्या 37 बुक नम्बर 79 दायर दिनांक 25.12.2003 के दिनांक 14.09.2004 को संकल्प संख्या 3 मिसल संख्या 11/2003-04 के जरिये दिनांक 14.09.2004 को अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जारी किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थीगण का भूखण्ड का पट्टा जारी किया हुआ था व उस पर अप्रार्थीगण मुकमिल कब्जा भौतिक व वास्तविक रुप से था। प्रार्थीगण के भूखण्ड का नाप 110 X 105 वर्गफीट है अप्रार्थीगण के भूखण्ड का नाप 103 X 95 वर्गफीट है। जब अप्रार्थीगण का पट्टाशुदा भूखण्ड पर पूर्व से कब्जा था तो प्रार्थीगण को आपत्ति होती तो पेश करते व वाद भी पेश करते परन्तु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थीगण से हडपने की नाजायज हरकत 10.12.2024 को की तब अप्रार्थीगण ने इसका विरोध किया। इस पर दिनांक 12.12.2024 को प्रार्थीगण ने इस बाबत एक दिवानी वाद स्थाई निषेधाज्ञा का गलत आधार पर श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय बाली के समक्ष पेश किया। उसमें सफल नहीं होने पर यह निगरानी दिनांक 27.01.2025 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की। वाद में 1986 से वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा होना कथन किया है। पट्टा 2009 में बनवाया है अप्रार्थी का पट्टा 2004 का है। इससे भी स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं रहा है।व जहां कब्जा था के भूखण्ड का पट्टा बनवाया गया है। जब अप्रार्थी का पट्टा बना हुआ था व कब्जा भी था। इससे निगरानी सरासर मिथ्या कथन पर प्रस्तुत करने से निरस्त किया जाना न्याय के हित में है।

2. यह है कि इस पट्टाशुदा भूखण्ड अप्रार्थीगण बाबत ही पट्टे को फर्जी बताकर दिवानी वाद पेश किया गया है। बाद में यह निगरानी पेश की गई परन्तु दिवानी वाद में भी पट्टा सही है या गलत है का निर्णय होगा इसी आधार पर वाद की आज्ञाप्ति जारी की सकेगी। जिससे इस विवाद बाबत दीवानी वाद भी प्रार्थीगण ने पेश किया है व यह निगरानी भी पेश की है जिससे निगरानी प्रार्थीगण चलने योग्य ही नहीं है। जो निरस्त की जावें। न्यायिक दृष्टान्त :– 2015(2)CIVIL TIME (Raj.)694

3. यह है कि पट्टा निरस्त करने बाबत प्रार्थीगण ने यह निगरानी इक्कीस वर्ष बाद पेश की है। परन्तु वैसे निगरानी हेतु अधिनियम में समय सीमा का प्रावधान नहीं है परन्तु निगरानी असमान्य विलम्ब के बाद पेश की जो भी 21 वर्ष बाद। जबकि प्रार्थीगण का पट्टा बना उससे पूर्व अप्रार्थीगण काबिज थे व उनके भूखण्ड का पट्टा 2004 में ही जारी किया जा चुका था। जिससे प्रार्थीगण को इसका ज्ञान 2004 के पूर्व से ही था इसके बावजुद उन्होंने 2009 को जो पट्टा अपने नाम जारी करवाया उस समय भी इसका विरोध नहीं किया दोनों पट्टो के पडौस भी भिन्न है। जिससे प्रार्थीगण को यह निगरानी युक्ति युक्त समय में पेश करनी चाहिये थी। जो भी बहुत देरीना प्रस्तुत की गई है जिससे भी निगरानी निरस्त करने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्तः– 2015(4)DNJ (Raj.)1853 , 2015(3) DNJ (Raj.)1074 E

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणो से प्रार्थीगण की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

यद्यपि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में अंकित तथ्यों के प्रतिकार में अप्रार्थीपक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है,जिसके आधार पर उक्त मियाद प्रार्थनापत्र के विरुद्ध

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025
उनवान : हुकमसिंह व अन्य बनाम राजकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः निगरानी याचिका के सलंग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेला में स्थित विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा एक अपंजीकृत लिखित इकरारनामा दिनांक 10.11.1986 के आधार पर स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करते हुए तथा ग्राम पंचायत धणी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में तथाकथित निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 37 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 14.09.2004 को चुनौति प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थीपक्ष का तर्क है कि उनके पक्ष में निष्पादित आलोच्य पट्टा विलेख पुराना है तथा दोनो ही पट्टा विलेख पृथक पृथक भूखण्डों से सम्बन्धित है। यह भी दोनो ही पक्षों द्वारा स्वीकार्य स्थिति है कि जैर निगरानी विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा एक अपंजीकृत लिखित इकरारनामें (दिनांक 10.11.1986) के आधार पर जैर निगरानी विवादित भूखण्ड पर अपने सिविल अधिकारों का दावा किया गया है। उक्त लिखित अपंजीकृत इकरारनामें की वैधानिकता व शुचिता साक्ष्य एवं जिरह से ही निर्धारित की जा सकती है, जो कि राजस्थान पंचायीतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में अपेक्षित नहीं है। जैर निगरानी विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में दोनो ही पक्षों के सिविल अधिकारों एवं स्वत्व सम्बन्धि दावों का निर्धारण उनके मध्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही में ही सम्भव है एवं सिविल न्यायालय में लम्बित उक्त वाद के अन्तिम निर्णयानुसार ही अग्रिम कार्यवाही हो सकती है।

अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका इस स्टेज पर खारिज की जाती है तथा संबंधित पक्षकारान् को सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner